

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

NAAC 'A+' Grade

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2025/3866
दिनांक : 04.03.2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय: 30 जून, 2025 तक अस्थायी सम्बद्धता समाप्त होने वाले विषयों/पाठ्यक्रमों/महाविद्यालयों की आनलाइन स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल मांगे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ऐसे महाविद्यालय जिनकी विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों की अस्थायी सम्बद्धता दिनांक 30 जून को समाप्त हो रही है, को स्थायी सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण एवं समय-सारिणी हेतु जारी शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2025 के क्रम में आनलाइन आवेदन हेतु समय सारणी के क्रमांक संख्या-06 की कार्यवाही निरीक्षण मण्डल का गठन की समय सीमा में उल्लिखित है कि—“दिनांक 30 मार्च, 2025 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात् संस्था द्वारा दिनांक 22 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 30 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा। उक्त के क्रम में महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल हेतु दिनांक 22 मार्च, 2025 तक आनलाइन आवेदन कर, आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थायी सम्बद्धता के सभी मानक पूर्ण करते हुए (यदि अर्थदण्ड अधिरोपित है तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि के अन्दर जमा कर) henoc.upsde.gov.in पर आनलाइन आवेदन करके स्थायी सम्बद्धता के निमित्त महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय से निरीक्षण मण्डल प्राप्त करके स्थायी सम्बद्धता प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि- प्रो० संजीव गंगवार (वेबमास्टर), एम०सी०ए० विभाग, विश्वविद्यालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


कुलसचिव